(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4158–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 2/अ–3/2014–15

.....

1–राजेश कुमार मालवीय आ0श्री पूरनलाल मालवीय

2–रूपेश मालवीय आ0श्री पूरनलाल मालवीय

दोनों निवासी जगदीशपुरा होशंगाबाद

3–जितेन्द्र सिंह राठौड आ0 श्री विजयसिंह राठौर,

निवासी ई डब्लू एस 92 हाउसिंग वार्ड कालोनी

वार्ड नं. 18 होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–विवेक पाटिल आ0पंडरीनाथ पाटिल

2–रामचन्द्र पाटिल आ0पंडरीनाथ पाटिल

दोनों निवासी विक्रम मार्ग फीग्रंज उज्जैन

3–श्रीमती भूरिया पत्नि स्व फागूलाल

4–श्रीमती सुदामा पत्नि रामबगस

5–रामस्वरूप आ0स्व0फागूलाल

6–रामभरोसे आ0स्व0फागूलाल

7–चरणसिंह आ0स्व0फागूलाल

8–श्रीमती शकुनबाई पत्नि भैयालाल

9–श्रीमती विमला बाई पत्नि रामचरण पुत्री फागूलाल

10–श्रीमती सावित्री बाई पत्नि अटलबिहारी पुत्री फागूलाल

11–श्रीमती विद्दू पत्नि राकेश बामने पुत्री रामकिशन

12–श्रीमती मनीषा पत्नि मुकेश अहिरवार पुत्री रामकिशन

13–श्रीमती रेखा पत्नि लखनलाल पुत्री रामकिशन

14–श्रीमती गुडिया पुत्री रामकिशन

15–हरदास आ0 रामकिशन

16–श्रीमती भग्गोबाई पत्नि भैयालाल पुत्री फागूलाल

17–श्रीमती सुखवती पत्नि गुडडा चौधरी पुत्री फागूलाल

18–राजकुमार आ0 रामकिशन

19–संगीता नाबालिग पिता रामकिशन

20–राजा नाबालिग पिता रामकिशन

बलि भाई राजकुमार आ0 रामकिशन

21–रामगोपाल आ0 रामकिशन

22–रामफल आ0फागूलाल

23–अनिल आ0रामबगस

24–अतुल आ0रामबगस

25–अशोक आ0रामबगस

26–ज्योति आ0रामबगस

सभी निवासी ग्राम जलालाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा जलालाबाद स्थित भूमि सर्वे नम्बर 60/19 का बटांकन कर नक्शे में एवं मौके पर सीमाचिन्ह का निर्धारण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–3/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–11–2016 को उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 60 की चकबंदी शासन के द्वारा नियमों के तहत की जा चुकी है तथा चकबंदी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही भी की जा चुकी है । चकबंदी के पश्चात् सर्वे नम्बर 60 की कोई भी भूमि शेष नहीं है । अतः अनावेदकगण की कोई भूमि थी तो चकबंदी अनुसार मौके पर नहीं है । राजस्व सर्वेक्षण के दौरान राजस्व में हुये त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार बन्दोबस्त अधिकारी को है और राजस्व सर्वेक्षण समाप्त होने के पश्चात् यह अधिकार कलेक्टर को है । तहसीलदार को नक्शा दुरूस्ती का अधिकार नहीं है ।

(2) तहसीलदार द्वारा मौके पर स्थिति के विपरीत सर्वे नम्बर 60/19 के बटांकन की कार्यवाही की जा रही है जबकि पटवारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मौके पर कोई भूमि शेष नहीं है इसलिये आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है।

(3) तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 को समझने में भूल की गई है क्योंकि चकबंदी के पश्चात् चकबंदी में हुई त्रुटि को चकबंदी के पश्चात् दुरूस्त करने का अधिकारी कलेक्टर को है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा रही है और आवेदकगण प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के उद्देश्य से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक का तहसील न्यायालय में बटांकन का ही आवेदन है और खसरे में अनावेदक का नाम है, अतः प्रथमदृष्टया बटांकन का हक अनावेदक को है । आवेदकपक्ष द्वारा सिविल न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।–आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष गुणदोष पर निराकरण के समक्ष अपने पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर